न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – जयवीर सिंह R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 90/2017 (48/2010) तारीख रज्जू : 14.11.2017
(67/2018)

भैंरूराम उर्फ भौरा पुत्र बल्लू उर्फ बलदेव दत्तक पुत्र धींसा जाति गुर्जर निवासी बल्लू की ढाणी तन मैड तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

— वादी

बनाम

1. पांचूराम उर्फ पांच्या पुत्र बल्लू उर्फ बलदेव
2. भंवरलाल } पिता महादेव
3. कृष्ण कुमार
4. केसरी पत्नि महादेव

} जाति गुर्जर निवासी बल्लू की ढाणी तनमैड, विराटनगर

5. राजेश कुमार पुत्र बलदेवराज जाति अरोडा निवासी मैड तहसील विराटनगर, जयपुर
6. कालू } पिता गंगासहाय
7. काना
8. गोरधन } पिता छींतर
9. हनुमान

} समस्त जाति धोबी निवासी मैड तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर
11. तहसीलदार एवं उप पंजीयक तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
12. पटवारी पटवार हल्का मैड तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री विनोद कुमार गुर्जर, अधिवक्ता वादी
श्री अनिल कुमार कौशिक, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 04.10.18

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम मैड के खाता संख्या 75 में दर्ज खसरा नम्बर 840, 841, 842, 2202, 2337, 2338, 2341, 2350, 2358, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2394, 2395, 2418 किता 25 कुल रकबा 7.54

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

Scanned by CamScanner

हैक्टेयर की खातेदारी केसरी बेवा महादेव, भंवरलाल, कृष्ण कुमार पिता महादेव हिस्सा 1/3, पांच्या पुत्र बल्लू हिस्सा 1/3, भौरा पुत्र घींसा हिस्सा 1/3 के नाम दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 682 मे दर्ज खसरा नम्बर 70, 71, 72, 73 किता 4 कुल रकबा 2.81 हैक्टेयर की खातेदारी राजेश कुमार पुत्र बलदेवराज हिस्सा 1/6, भैंरूराम, पांचूराम पिता बलदेव हिस्सा 1/3, कालू, काना पिता गंगासहाय, गोर्वधन, हनुमानपिता छींतर हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज है। आराजी मुतनाजा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की पैतृक एवं संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है। वादी का आराजी मुतनाजा खाता संख्या 75 में 1/2 व खाता संख्या 682 मे 1/6 हिस्सा बनता है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 बल्लू उर्फ बलदेव के वारिस है, बल्लू के दूसरे भाई घींसा के कोई जायन्दा सन्तान नहीं होने से उसने वादी को गोद लिया था, लेकिन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 बल्लू उर्फ बलदेव के वारिस होने से दोनो खातो की जमीनों मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 बुजुर्ग महादेव के वारिसान का आपसी सहमति से 1/3, 1/3 हिस्सा दर्ज किया गया है तथा मौके पर दोनो ही अपने हिस्से अनुसार काश्त कर रहे है। खसरा नम्बर 70 लगायत 73 किता 4 की भूमि में से केसरी देवी पत्नि महादेव, भंवरलाल, कृष्ण कुमार पिता महादेव ने अपने 1/6 हिस्से को प्रतिवादी संख्या 5 को विक्रय कर दिया है, अतः उनकी जगह खातेदारी मे राजेश कुमार प्रतिवादी संख्या 5 का नाम अंकित हो गया है। उक्त भूमि के 1/2 हिस्से पर अन्य खातेदारान 6 लगायत 9 के नाम दर्ज अपने हिस्से अनुसार काबिज हैं। आराजी मुतनाजा का खातेदारान के मध्य कानूनी बटवारा नहीं हुआ है, राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा उसी अनुसार काबिज हैं। वादी के घींसा के गोद जाने के कारण प्रतिवादीगण उसे अपने से अलग समझने लगे हैं उन्होनें वादी के खिलाफ एक संगठन बना लिया है एवं उसके हिस्से की भूमि से महरूम कर देना चाहते हैं, आये दिन काश्त करने मे बाधा डालते हैं, जमीन को दीगर व्यक्ति को हस्तान्तरित करने की धमकी देते हैं। इन कारणो से वादी का प्रतिवादीगण के साथ सामिल मे काश्त करना सम्भव नहीं रहा है। अतः निवेदन है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार कानूनी बंटवारा किया जाकर वादी को अलग से कब्जा कराया जावे, लगान निर्धारित कराया जावे। अन्यथा वादी को खाता संख्या 75 मे दर्ज भूमि के 1/2 भाग का एवं खाता संख्या 682 मे दर्ज भूमि 1/6 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित कर तदानुसार वादी का अलग से कब्जा

उप खण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)।

Scanned by CamScanner

कराया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी के हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि मे किसी प्रकार की बेजा मजाहमत पैदा नहीं करें वादी को शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवे।

2. दावा बाद जांच दर्ज पंजीका कर प्रतिवादीगण की तल्बी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 जरिए विद्वान अधिवक्ता उपरिथत हुए। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 9 बावजूद सम्यक तामील अनुपरिथत रहे, इस कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रतिवादी संख्या 1 का जवाब रहा कि वादी द्वारा आराजी मुतनाजा उसकी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की संयुक्त खातेदारी भूमि होना गलत अंकित किया गया है। खाता संख्या 75 में दर्ज भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता महादेव की स्वअर्जित सम्पत्ति है। खाता संख्या 75 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता बल्लू पुत्र श्योजी की खातेदारी भूमि रही है, जिससे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व उनके भाई महादेव ने उक्त भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की थी, जिसका नामान्तकरण नोट जमाबन्दी संवत् 2028–2031 में दर्ज किया गया। वादी का उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा होना नितान्त गलत है। वादी अपने को घीसा के गोद जाना बताता है, तो भी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पूर्वज महादेव की उक्त भूमि खरीदशुदा भूमि है। वादी अपने हिस्से से ज्यादा भूमि पर काबिज काश्त है। वादी जब घींसा के गोद चला गया तो वादी ने अपने प्राकृतिक पिता बलदेव की भूमि खसरा नम्बर 70 से 73 में बलदेव की विरासत में अपना नाम गलत दर्ज करा लिया, जो दुरूस्ती योग्य है। वादपत्र के खण्ड संख्या 15 क, ख, ग, घ मे वर्णित कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का वादी अधिकारी नहीं है। वादी द्वारा घीसा के गोद जाने से खाता संख्या 75 मे दर्ज भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की खरीदशुदा भूमि है मे से गोद के आधार पर 1/2 हिस्सा मांगने का कोई हक नहीं बनता है, वहीं बल्लू की विरासत मे हिस्सा नहीं बनने से खाता संख्या 682 में वादी का नाम हजफ योग्य है। दावा निराधार होने से सरसरी तौर पर खारिज योग्य है।

4. उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर वादपत्र में दिनांक 09.11.2011 को तनकियात कायम की गई।

5. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 75 व 682 संवत् 2062–2065 पेश किये गये।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मौखिक साक्ष्य का अवसर दिया गया, कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया, न ही दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया।

6. प्रतिवादी ने जवाबदावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नक्शा ट्रेस किता 2, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 75 व 682, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल खतौनी सैटिलमेंट हाल एवं नकल जमाबन्दी साबिक रिकार्ड पेश की गई। मौखिक साक्ष्य के लिए अवसर दिया गया, कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों को प्रदर्शित नहीं करवाया गया है।

7. अन्ततः उभय पक्ष राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार खाता एवं लगान विभाजन किये जाने पर सहमत हुए एवं प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण दिनांक 01.08.2012 द्वारा प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर बंटवारा प्रस्ताव 02.04.2013 प्राप्त कर प्रकरण राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मैड दिनांक 03.06.2016 को अंतिम रूप से डिक्री किया गया।

8. उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलान्ट पांचू द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष अपील पेश की गई। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.10.2017 द्वारा प्रश्नगत निर्णय दिनांक 03.06.2016 को निरस्त करते हुए प्रकरण इस न्यायालय को इस आदेश के साथ प्रेषित किया गया कि तहसीलदार द्वारा उभय पक्षों की मौजूदगी में पुनः कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार करवाये जाकर उभय पक्षों को सुना जाकर गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारीत करें।

9. प्रकरण इस न्यायालय में दिनांक 14.11.2017 को दर्ज होकर दिनांक 05.04.2018 को प्राथमिक रूप से डिक्री कर तहसीलदार विराटनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार न्यायालय में पेश करने की तहरीर जारी की गई।

10. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान के उपस्थित अधिवक्तागण एवं पक्षकारान को सुना गया। तहसीलदार विराटनगर द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव पेश किया गया है। पक्षकारान को बंटवारा प्रस्ताव पढकर समझाया गया जिस पर उपस्थित पक्षकारान ने सहमति पेश की, तथा अपनी लिखित सहमति पत्रावली में पेश कर प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण कानूनी बंटवारा से संबंधित

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

Scanned by CamScanner

है, जिसके संबंध में बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त है तथा उभय पक्षकारान मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव बंटवारा किये जाने पर सहमत है। अतः दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 12.06.2018 डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर ग्राम मैड की खातेदारी भूमि को पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर
1	पांच्या पुत्र बल्लू जाति गुर्जर	840/0.4151, 2202/2/0.033, 2337/1/0.1133, 2338/1/0.24, 2341/2/0.29, 2350/1/0.0634, 2358/2/0.16, 2375/1/0.028, 2376/1/0.006, 2377/1/0.004, 2378/1/0.012, 2379/0.0325, 2381/2/0.008, 2383/0.16, 2383/4/0.08, 2384/0.099, 2385/0.11, 2386/0.11, 2384/0.35, 2395/1/0.0742, 2418/2/0.0967 हैक्टेयर किता 21 रकबा 2.4855 हैक्टेयर
2	भंवरलाल पुत्र महादेव हिस्सा 1/9, भौंरा पुत्र घींसा हिस्सा 1/3, केशरी पत्नी महादेव, कृष्ण कुमार पुत्र महादेव हिस्सा 2/9, पांच्या पुत्र बल्लू हिस्सा 1/3	2375/3/0.003, 2377/2/0.006, 2778/2/0.006, 2379/1/0.0075, 2381/3/0.019, 2382/0.02, 2383/5/0.011, 2384/1/0.011 हैक्टेयर किता 8 कुल रकबा 0.0835 हैक्टेयर
3	राजेश कुमार पुत्र बलदेव जाति अरोड़ा	70/2/0.4683 हैक्टेयर
4	भैंरूराम पुत्र बलदेव जाति गुर्जर	70/1/0.4508, 71/2/0.0175 हैक्टैयर किता 2 कुल रकबा 0.4683 हैक्टेयर
5	पांचू राम पुत्र बलदेव जाति गुर्जर	70/0.4509, 71/0.0175 हैक्टेयर किता 2 रकबा 0.4684 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

Scanned by CamScanner

6	काना पुत्र गंगासहाय हिस्सा 1/4, गोरधन, हनुमान पुत्रान छींतर हिस्सा 1/2, कालू पुत्र गंगासहाय हिस्सा 1/4	71/0.2250, 72/0.42, 73/0.76 हैक्टेयर किता 3 रकबा 1.4050 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें बैंक रहन संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि बंटवारे में प्राप्त खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 04/10/18 खुले न्यायालय में सुनाया

(जयवीर सिंह R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

उप खण्ड अधिकारी * विराटनगर (जयपुर) राजस्थान *

Scanned by CamScanner

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

आदेश

22/018 अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धरा 152, 153 सी.पी.सी. पेश किया। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध बंटवारा प्रस्ताव एवं पारित निर्णय आदेश/डिक्री दिनांक 04.10.2018 का अवलोकन किया गया। निर्णय के आदेश भाग एवं डिक्री में भूलवश खाता संख्या 573/1 एवं 573/2 के खसरा नम्बरान के खातेदारों का अंकन होने से छूट गया। अतः निर्णय के आदेश भाग एवं डिक्री में संशोधन करते हुए उक्त खातेदारों की भूमि भी बंटवारा निर्णय आदेश एवं डिक्री में शामिल किया जाता है। शेष निर्णय आदेश एवं डिक्री यथावत रहेगी।

खाता संख्या	नाम खातेदार	खसरा नम्बर
573/1	भंवरलाल पुत्र महादेव हिस्सा 1/3, केशरी पत्नी महादेव, कृष्ण कुमार पुत्र महादेव हिस्सा 2/9	840/1/0.1049, 841/0.28, 842/0.18, 2202/1/0.0333, 2337/2/0.1134, 2338/2/0.24, 2341/1/0.29, 2350/2/0.0633, 2358/0.16, 2374/0.28, 2375/0.2283, 2378/3/0.004, 2380/0.04, 2381/0.2969, 2383/3/0.0747, 2418/0.0967 हैक्टेयर कुल किता 16 रकबा 2.4855 हैक्टेयर
573/2	भौंरा पुत्र घींसा जाति गुर्जर	2202/0.034, 2337/0.1133, 2338/0.24, 2341/0.29, 2350/0.0633, 2358/1/0.16, 2375/1/0.0907, 2376/0.3140, 2377/0.02, 2378/0.028, 2381/1/0.2261, 2383/2/0.0743, 2383/1/0.02, 2394/1/0.08, 2395/0.6358, 2418/1/0.0966 हैक्टेयर किता 16 रकबा 2.4855 हैक्टेयर

नोट : उक्त आदेश को निर्णय आदेश एवं डिक्री दिनांक 04.10.2018 का भाग माना व पढा जावे, शेष पूर्व आदेश यथावत रहेगा।

(जयवीर सिंह R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराट नगर, जयपुर

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

बइजलास :– जयवीर सिंह आर.ए.एस.

भैंरूराम उर्फ भौरा पुत्र बल्लू उर्फ बलदेव दत्तक पुत्र घींसा जाति गुर्जर निवासी बल्लू की ढाणी तन मैड तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

—– वादी

बनाम

1. पांचूराम उर्फ पांच्या पुत्र बल्लू उर्फ बलदेव
2. भंवरलाल } पिता महादेव
3. कृष्ण कुमार }
   } जाति गुर्जर निवासी बल्लू की ढाणी तनमैड, विराटनगर
4. केसरी पत्नि महादेव
5. राजेश कुमार पुत्र बलदेवराज जाति अरोडा निवासी मैड तहसील विराटनगर, जयपुर
6. कालू } पिता गंगासहाय
7. काना }
8. गोरधन } पिता छींतर
9. हनुमान }
   } समस्त जाति धोबी निवासी मैड तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर
11. तहसीलदार एवं उप पंजीयक तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
12. पटवारी पटवार हल्का मैड तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—– प्रतिवादीगण

(67/2018)

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 90/2017 (48/2010) दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू श्री विनोद कुमार गुर्जर एडवोकेट व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू श्री अनिल कुमार कौशिक एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 1 कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार कानूनी बंटवारा किया जाकर वादी को अलग से कब्जा कराया जावे, लगान निर्धारित कराया जावे। अन्यथा वादी को खाता संख्या 75 मे दर्ज भूमि के 1/2 भाग का एवं खाता संख्या 682 मे दर्ज भूमि 1/6 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित कर तदानुसार वादी का अलग से कब्जा कराया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी के हिस्से व कब्जे काश्त

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

Scanned by CamScanner

की भूमि मे किसी प्रकार की बेजा मजाहमत पैदा नहीं करें वादी को शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवे। **उपस्थित अधिवक्तागण एवं पक्षकारान को सुना गया।** प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर से प्राप्त होने पर तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 के अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया। बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 12.06.2018 अनुसार दावा डिक्री किये जान पर उभय पक्षकार सहमत है, जिसके बाबत उन्होंने राजीनामा भी पेश किया है। अतः **हुक्म दिया जाता है कि** वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिकी किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर ग्राम मैड की खातेदारी भूमि का पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उप खण्ड अधिकारी * विराटनगर (जयपुर) राजस्थान *

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर
1	पांच्या पुत्र बल्लू जाति गुर्जर	840/0.4151, 2202/2/0.033, 2337/1/0.1133, 2338/1/0.24, 2341/2/0.29, 2350/1/0.0634, 2358/2/0.16, 2375/1/0.028, 2376/1/0.006, 2377/1/0.004, 2378/1/0.012, 2379/0.0325, 2381/2/0.008, 2383/0.16, 2383/4/0.08, 2384/0.099, 2385/0.11, 2386/0.11, 2384/0.35, 2395/1/0.0742, 2418/2/0.0967 हैक्टेयर किता 21 रकबा 2.4855 हैक्टेयर
2	भंवरलाल पुत्र महादेव हिस्सा 1/9, भौंरा पुत्र घींसा हिस्सा 1/3, केशरी पत्नी महादेव, कृष्ण कुमार पुत्र महादेव हिस्सा 2/9, पांच्या पुत्र बल्लू हिस्सा 1/3	2375/3/0.003, 2377/2/0.006, 2778/2/0.006, 2379/1/0.0075, 2381/3/0.019, 2382/0.02, 2383/5/0.011, 2384/1/0.011 हैक्टेयर किता 8 कुल रकबा 0.0835 हैक्टेयर
3	राजेश कुमार पुत्र बलदेव जाति अरोडा	70/2/0.4683 हैक्टेयर
4	भैंरूराम पुत्र बलदेव जाति गुर्जर	70/1/0.4508, 71/2/0.0175 हैक्टैयर
5	पांचू राम पुत्र बलदेव जाति गुर्जर	70/0.4509, 71/0.0175 हैक्टेयर किता 2 रकबा 0.4684 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

Scanned by CamScanner

6	काना पुत्र गंगासहाय हिस्सा 1/4, गोरधन, हनुमान पुत्रान छींतर हिस्सा 1/2, कालू पुत्र गंगासहाय हिस्सा 1/4	71/0.2250, 72/0.42, 73/0.76 हैक्टेयर किता 3 रकबा 1.4050 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें बैंक रहन संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि बंटवारे में प्राप्त खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिकी तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 04/10/18 को खुले न्यायालय में सुनाया

(जयवीर सिंह R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) राजस्थान

मुबलिक ......शून्य...... बाबत ......शून्य...... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ......शून्य...... की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ......शून्य...... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04/10/18 को जारी की गई।

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

आदेश

22/10/18 अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धरा 152, 153 सी.पी.सी. पेश किया। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध वंटवारा प्रस्ताव एवं पारित निर्णय आदेश/डिक्री दिनांक 04.10.2018 का अवलोकन किया गया। निर्णय के आदेश भाग एवं डिक्री में भूलवश खाता संख्या 573/1 एवं 573/2 के खसरा नम्बरान के खातेदारों का अंकन होने से छूट गया। अतः निर्णय के आदेश भाग एवं डिक्री में संशोधन करते हुए उक्त खातेदारों की भूमि भी वंटवारा निर्णय आदेश एवं डिक्री में शामिल किया जाता है। शेष निर्णय आदेश एवं डिक्री यथावत रहेगी।

खाता संख्या	नाम खातेदार	खसरा नम्बर
573/1	भंवरलाल पुत्र महादेव हिस्सा 1/3, केशरी पत्नी महादेव, कृष्ण कुमार पुत्र महादेव हिस्सा 2/9	840/1/0.1049, 841/0.28, 842/0.18, 2202/1/0.0333, 2337/2/0.1134, 2338/2/0.24, 2341/1/0.29, 2350/2/0.0633, 2358/0.16, 2374/0.28, 2375/0.2283, 2378/3/0.004, 2380/0.04, 2381/0.2969, 2383/3/0.0747, 2418/0.0967 हैक्टेयर कुल किता 16 रकवा 2.4855 हैक्टेयर
573/2	भौंरा पुत्र घींसा जाति गुर्जर	2202/0.034, 2337/0.1133, 2338/0.24, 2341/0.29, 2350/0.0633, 2358/1/0.16, 2375/1/0.0907, 2376/0.3140, 2377/0.02, 2378/0.028, 2381/1/0.2261, 2383/2/0.0743, 2383/1/0.02, 2394/1/0.08, 2395/0.6358, 2418/1/0.0966 हैक्टेयर किता 16 रकवा 2.4855 हैक्टेयर

नोट : उक्त आदेश को निर्णय आदेश एवं डिक्री दिनांक 04.10.2018 का भाग माना व पढा जावे, शेष पूर्व आदेश यथावत रहेगा।

(जयवीर सिंह R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराट नगर, जयपुर